संख्या-22/2026/772/58-2026/1915034

प्रेषक,

संजीव कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 26 मार्च, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-108-07-उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 का क्रियान्वयन की योजनान्तर्गत प्रविधान के सापेक्ष अवमुक्त हेतु अवशेष धनराशि रू0-33.62 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-26.00 लाख अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-173/बजट/2025-26 दिनांक-23-03-2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-108-07-उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 का क्रियान्वयन की योजनान्तर्गत प्रविधान के सापेक्ष अवमुक्त हेतु अवशेष धनराशि रू0-33.62 लाख के सापेक्ष मानक मद 27-सब्सिडी में धनराशि रू0-26.00 लाख (रूपये छब्बीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष जो भी कार्य कराये जायेंगे वो अपने आप में पूर्ण होंगे तथा कोई शासकीय देयता सृजित नहीं होगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना के दिशा-निर्देशों/गाईडलाईन एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक उद्यान विभाग का होगा।

(4) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी इसके लिए विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक उद्यान विभाग उत्तरदायी होंगे।

(5) धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(6) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(7) विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक उद्यान, विभाग द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(8) कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय क्योंकि धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) धनराशि का आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27 मार्च, 2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निदेर्शो का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 26,00,000 (रुपये छब्बीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 010 **लेखा शीर्षक** 2401001080700 उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 का क्रियान्वयन **मानक मद** 27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/ बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या- 22/2026/772(1)/58-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्न हिल रोड, प्रयागराज।

https...

(3) मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी उद्यान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

संजीव कुमार त्रिपाठी

अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.g